

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अयोध्या |

पत्रांक : मु.सिङ्ग. / तमाकू नि. प्रकोष्ठ / 2021-2022

85-A

दिनांक : 18.05.2021
/9

- जिला काय रोग अधिकारी
अयोध्या।
 - समस्त अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अयोध्या।
 - समस्त कार्यालय अध्यक्ष,
अयोध्या।

विषय : माह मई 2021 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में 20 मई 21 से 15 जून 2021 तक कैम्पेन / अभियान चलाये जाने विषयक।

महानिदेशक, विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021-22/8892 लखनऊ/ दिनांक 05-05-2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष दिनांक 31 मई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदत्त थीम **Commit to quit today and sign the pledge** पर विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कैम्पेन के रूप में दिनांक 20 मई 2021 से 15 जून 2021 तक मनाया जाना है।

जैसा आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है जिस हेतु प्रत्येक वर्ष विश्व स्वस्थ संगठन द्वारा एक थीम प्रदत्त किया जाता है इस वर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर तम्बाकू छोड़ने एवं तम्बाकू छोड़ने हेतु शपथ लिए जाने पर बल दिया गया है इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद / ब्लाक में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केंद्र, एन.सी.डी. विलनिक, मनकस, टी.बी. विलनिक एवं अन्य प्राइवेट यिकिल्सा संस्थानों पर कार्यरत कार्ससलर / साइकोलोजिस्ट के माध्यम से व्यक्तियों की काउंसिलिंग करते हुए तम्बाकू छोड़ने एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विट लाइन नंबर - 1800112356 का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें तथा तम्बाकू उपभोग न करने हेतु हेतु शपथ भी दिलाई जाय।

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश में फैली कोरोना महामारी के दृष्टिगत सरकारी प्रतिष्ठानों सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान एवं थूकने हेतु प्रतिवधित किया जा चुका है जिस के लिए आपको पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए उक्त कैम्पेन में प्रचार प्रसार, ऑडियो – विडिओ किलप, वेबिनार इत्यादि का आयोजन के अतरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान एवं थूकने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को ९० कार्य दिवसों के अन्दर फोटो, न्यूज पेपर कटिंग एवं रिपोर्ट dtoupfai@rntcp.org पर उपलब्ध कराना शुनिश्चित करें।

उक्त कैम्पेन को प्रभावी बनाने हेतु किसी भी जिज्ञासा एवं प्रचार प्रसार सम्बन्धी जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट - ntcp.nhp.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है।

(न) मुख्य विकास अधिकारी
अयोध्या।

पत्रांक : मु.वि.अ. / तम्बाकू नि. प्रकोष्ठ / 2021-22

तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत —

- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उत्तर प्रदेश लखनऊ।
 - राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 - जिलाधिकारी महोदय, अयोध्या।
 - पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
 - मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।
 - नोडल अधिकारी जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अयोध्या।
 - यू०पी०वी०एच०ए०, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अयोध्या।